# नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) 492002
कार्यालय फोन : 0771–2512500, फैक्स : 2512400, ई–मेलः ceo@nayaraipur.com

क्र0/6543/1(1)/692/स्था./वित्तीय अधि./एनआरडीए/2016 नया रायपुर, दिनांक 14/09/2017

प्रति,

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय,
2. निज सहायक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
3. महाप्रबंधक (प्रशासन/वित्त/लेखा),
4. मुख्य अभियंता (अभियांत्रिकी),
5. मुख्य परियोजना प्रबंधक (CPM),
6. अधीक्षण अभियंता (अभियांत्रिकी),
7. समस्त कार्यपालन अभियंता (अभियांत्रिकी),
8. उपमहाप्रबंधक (यातायात/पर्यावरण/विधिक),
9. प्रबंधक (संपदा/परियोजना/प्रशासन/पुनर्वास/भूमि/जनसंपर्क),
10. सलाहकार (नियोजन),
11. समस्त सहायक अभियंता (अभियांत्रिकी),

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर (छ.ग.)।

विषय :– नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक 2–45/32/2016, दिनांक 30.08.2017।

छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 12.01.2017 एवं 04.02.2017 को अधिक्रमित करते हुए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों को छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजन किया गया है। शासनादेश की छाया प्रतियाँ इस पत्र के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक (प्रशासन),
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
नया रायपुर (छ.ग.)।

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
---0000---
-::: **आदेश** :::-

नया रायपुर दिनांक [illegible] / 08 / 2017

**क्रमांक एफ 2-45/2016/32** :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.1.2017 तथा दिनांक 4.2.2017 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को निम्नलिखित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करता है :-

| क्र. | शक्तियों की विशिष्टता | पदाधिकारी/अधिकारी जिसे ये अधिकार दिये जा रहे है |
|---|---|---|
| 1. | छ.ग. शासन के बजट मद से पूर्णतः या आंशिक अनुदान से प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति | राज्य शासन के द्वारा जारी की जायेगी। संचालक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में, अध्यक्ष एनआरडीए के अनुमोदन से राज्य शासन की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगी। |
| 2. | एनआरडीए के बजट प्रावधान के अंतर्गत स्वयं के राजस्व व संसाधन से प्रस्तावित निर्माण कार्यो/परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य के घटकों की प्रकृति के अनुरूप निविदा आमंत्रित करने के लिये प्राक्कलनों को विभाजित करने की शक्ति। | |
| | (1) निविदा की प्रशासकीय स्वीकृति- | |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अध्यक्ष |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | संचालक मण्डल |
| | (2) निविदा आमंत्रित करने के लिए प्राक्कलन विभाजन की शक्ति - | |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | कार्यपालन अभियंता |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अधीक्षण अभियंता |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | मुख्य अभियंता |



G.M.(Ad.) OS

C.E.O., NRDA

| | | |
|---|---|---|
| 3. | **निर्माण कार्यों के लिए निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर (L-1) की स्वीकृति** | |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अध्यक्ष |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | संचालक मण्डल |
| 4. (क) | बजट प्रावधान के अंतर्गत संचालन, संधारण के कार्यों एवं उक्त सेवाओं से संबंधित प्रशासकीय स्वीकृति | |
| | (अ) रू. एक करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. एक करोड़ से अधिक | अध्यक्ष |
| 4. (ख) | **संचालन, संधारण के कार्यों एवं उक्त सेवाओं से संबंधित कार्यों के घटकों की प्रकृति के अनुरूप निविदा आमंत्रित करने के लिये प्राक्कलनों को विभाजित करने की शक्ति।** | |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | कार्यपालन अभियंता |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अधीक्षण अभियंता |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | मुख्य अभियंता |
| 5. | **संचालन, संधारण के कार्यों एवं उक्त सेवाओं से संबंधित निविदाओं की स्वीकृति।** | |
| | (अ) बजट प्रावधान के अंतर्गत संधारण कार्यों के लिए निविदा के आधार पर न्यूनतम दर (L-1) की स्वीकृति – रू. एक करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) बजट प्रावधान के अंतर्गत संधारण कार्यों के लिए निविदा के आधार पर न्यूनतम की स्वीकृति – रू. एक करोड़ से अधिक | अध्यक्ष |
| 6. | **छ.ग. शासन के बजट मद से किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये निविदायें आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ स्वीकृत प्राक्कलनों को विभाजित करने की शक्ति।** | वित्त निर्देश 34/2007 की कण्डिका 38 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी को ही तकनीकी विभाजन का अधिकार है। तद्नुसार तकनीकी विभाजन की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है। |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | कार्यपालन अभियंता |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अधीक्षण अभियंता |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | मुख्य अभियंता |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | निर्माण कार्यों तथा संचालन/ संधारण और सेवा प्रदाता से संबंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति। | |
| | (अ) रू. पांच करोड़ तक | कार्यपालन अभियंता |
| | (ब) रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अधीक्षण अभियंता |
| | (स) रू. बीस करोड़ से अधिक | मुख्य अभियंता |
| 8. (क) | प्लांट तथा विशिष्ट मशीनरी उपकरणों का जिसकी तुरंत आवश्यकता है, एकल या सीमित निविदा पर मान्यता प्राप्त निर्माताओं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधिओं से कय | |
| | (अ) रू. एक करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. एक करोड़ से अधिक | अध्यक्ष |
| 8. (ख) | प्लांट तथा विशिष्ट मशीनरी उपकरणों का जिसकी तुरंत आवश्यकता है, एकल या सीमित निविदा पर मान्यता प्राप्त निर्माताओं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधिओं से मरम्मत/ संचालन–संधारण/संधारण कराना। | |
| | (अ) रू. एक करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. एक करोड़ से अधिक | अध्यक्ष |
| 8. (ग) | प्लांट तथा विशिष्ट मशीनरी एवं उपकरणों का कय निविदा के द्वारा (L-1) के आधार पर | |
| | (अ) रू. एक करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. एक करोड़ से अधिक | अध्यक्ष |
| 9. | निर्माण कार्यों के लिए सीमित निविदाओं के माध्यम से न्यूनतम दर के आधार पर दर स्वीकृति। | |
| | रू. 25 लाख वित्तीय वर्ष में सीमा 2 करोड़ | अध्यक्ष (प्रति प्रकरण रू. 25 लाख तक, वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 2 करोड़ की सीमा होगी। निविदा का विभाजन नहीं किया जा सकेगा।) |
| 10. | छ.ग. विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के नियम–08 के अंतर्गत भूमि व्ययन के लिए आरक्षित प्रीमियम का निर्धारण। | |
| | सेक्टर एवं प्लाट लेवल पर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | **नया रायपुर की भूमि व्ययन आधारित परियोजनाओं के अंतर्गत संपदा के व्ययन की निविदाओं/नीलामी में प्राप्त दरों की स्वीकृति** | |
| | (अ) आरक्षित प्रीमियम रू. पांच करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) आरक्षित प्रीमियम रू. पांच करोड़ से अधिक रू. बीस करोड़ तक | अध्यक्ष |
| | (स) आरक्षित प्रीमियम रू. बीस करोड़ से अधिक | संचालक मण्डल |
| 12. | **संचालन, संधारण, सेवा प्रदाताओं तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की फीस भुगतान की स्वीकृति।** | |
| | (अ) रू. पांच लाख तक | महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) |
| | (ब) रू. पांच लाख से अधिक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 13. | **निर्माण कार्यों के भुगतान की स्वीकृति।** | |
| | (अ) अनुबंध के उपरांत अनुबंध के अध्याधीन भुगतान की स्वीकृति। | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार। |
| | (ब) प्रचलित संविदा में वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत निर्माण कार्यों के आईटम में विचलन (परिवर्तन या अतिरिक्त आईटम) की स्वीकृति। | (अ) पूर्ण शक्ति – मुख्य अभियंता<br>(ब) रूपये दो करोड़ तक – अधीक्षण अभियंता<br>(स) रूपये पचास लाख तक – कार्यपालन अभियंता |
| 14. | **भवन किराया, विद्युत देयक, टेलीफोन, मोबाईल देयकों, वाहन किराया, रख–रखाव कार्य, स्टेशनरी व स्टॉक से संबंधित भुगतान कार्यादेशानुसार** | (अ) रूपये पांच लाख तक – महाप्रबंधक (वित्त)<br>(ब) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण शक्ति। |
| 15. | **अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जाने की शक्ति/शपथ पत्र दिये जाने की शक्ति।**<br><br>**सक्षम स्वीकृति के उपरांत, एनआरडीए की नियमित स्थापना अथवा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को निम्नानुसार शक्ति होगी :–** | |
| | (1) निर्माण कार्यों, तकनीकी परामर्शदाताओं, संचालन/संधारण एवं सेवा प्रदाता, विद्युत, टेलीफोन एवं अन्य सेवा संयोजन हेतु संबंधित अनुबंध – | कार्यपालन अभियंता (कार्य प्रभारी)/ अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता |
| | (2) संपदा से संबंधित अनुबंध – | |
| | (क) **भूमि व्ययन आधारित** परियोजना **से संबंधित** अनुबंध | महाप्रबंधक (प्रशासन) |

| | | |
|---|---|---|
| | (ख) अन्य अनुबंध– | यथास्थिति महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / प्रबंधक (प्रशासन) / प्रबंधक (संपदा) / प्रबंधक (पुनर्वास) / प्रबंधक (भूमि) |
| | (ग) वकालत नामा, विभिन्न न्यायालयों में शपथ पत्र– | उपमहाप्रबंधक (विधि) |
| 16. | स्वीकृत पद के विरूद्ध आऊटसोर्सिंग के द्वारा अनुबंध के अंतर्गत सेवा प्राप्ति | |
| | (अ) वर्ग–एक एवं वर्ग–दो के समकक्ष पदों पर | अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार (पदों से संबंधित सेवा के आऊट सोर्सिंग हेतु नियमित पद के वेतन के सीमा के अधीन होने के शर्त पर) |
| | (ब) वर्ग–तीन एवं वर्ग–चार के समकक्ष पदों पर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 17. | वेतन एवं भत्तों का भुगतान / वेतन निर्धारण / वार्षिक वेतनवृद्धि / सी.पी. ए. व नियमों के अनुसार देय अग्रिमों का आहरण की स्वीकृति। | महाप्रबंधक (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार |
| 18. | आकस्मिक अवकाश मंजूरी की शक्ति | 1. प्रभाग प्रमुख को पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)<br>2. प्रभाग प्रमुख के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी<br>3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मामले में – अध्यक्ष |
| 19. | अर्जित / अन्य अवकाश मंजूर करने की शक्ति | 1. द्वितीय श्रेणी तक–महाप्रबंधक (प्रशासन)<br>2. अन्य मामलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)<br>3. अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार |
| 20. | प्रदेश से बाहर यात्रा तथा वायुमार्ग से इकानॉमी श्रेणी में यात्रा की स्वीकृति। | |
| | शासन के बजट अनुदान से | वित्त निर्देश 19 / 2014 के अध्यधीन |
| | एनआरडीए के बजट अनुदान से | |
| | (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी | अध्यक्ष |
| | (ख) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा समकक्ष अधिकारी के मामले में | मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वयं को छोड़कर) को पूर्ण शक्ति |
| | (ग) आवश्यक होने पर अन्य कर्मचारी के मामले में | अध्यक्ष को पूर्ण शक्ति |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | प्रदर्शनी, कार्यशाला तथा सेमीनार पर व्यय की स्वीकृति | |
| | 1) रू. दो लाख तक प्रति वित्तीय वर्ष में | महाप्रबंधक (प्रशासन) |
| | 2) रू. दो लाख से अधिक रू. दस लाख तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | 3) रू. दस लाख से अधिक रू. पचास लाख तक | अध्यक्ष |
| | 4) रू. पचास लाख से अधिक | राज्य शासन द्वारा स्वीकृति के तहत अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार |
| 22. | आकस्मिक व्यय/डेमरेज/भारफेज एवं अभिलेखों ले जाने पर व्यय की स्वीकृति | वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार –<br>1. विभागाध्यक्ष की शक्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होंगी।<br>2. राज्य शासन की शक्तियां संचालक मण्डल में निहित होगी। |
| 23. | फर्नीचर के क्रय की स्वीकृति | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 24. | प्रचार–प्रसार व्यय एवं विज्ञापन व्यय की स्वीकृति | |
| | (अ) रू. 5 लाख तक | बजट प्रावधान के अधीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. 5 लाख से अधिक | अध्यक्ष |
| 25. | एनआरडीए के बजट के अध्यधीन राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं के लिए मार्केटिंग पर व्यय | (अ) रू. एक करोड़ तक – मुख्य कार्यपालन अधिकारी<br>(ब) रू. एक करोड़ से अधिक – अध्यक्ष। |
| 26. | कम्प्यूटर, प्लॉटर एवं एसेसरिज खरीदने की स्वीकृति | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 27. | वाहन खरीदने की स्वीकृति | वित्त निर्देश 36/2009 एवं 07/2016 के अध्यधीन |
| 28. | वाहन मरम्मत की स्वीकृति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये | शासन के आदेशों के अधीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 29. | भण्डार सामग्री, मशीनरी, उपकरण, वाहन तथा फर्नीचर जो मरम्मत के लायक नहीं है उसके अपलेखन तथा निपटान की स्वीकृति | वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार –<br>(1) विभागाध्यक्ष की शक्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होंगी।<br>(2) राज्य शासन की शक्तियॉ संचालक मण्डल में निहित होगी। |
| 30. | परियोजनाओं/आयोजनों/सलाह के लिए परामर्शदाता का चयन, नियुक्ति एवं फीस का निर्धारण न्यूनतम निविदा के आधार पर | |
| | (अ) कुल फीस रू. दो करोड़ तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| | (ब) कुल फीस रू. दो करोड़ से पांच करोड़ तक | अध्यक्ष |
| | (स) कुल फीस रू. पांच करोड़ से अधिक | संचालक मण्डल |
| 31. | अपवादित / विशिष्ट परियोजनाओं तथा आयोजन एवं विशेषज्ञ सेवाओं, सलाह तथा वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों एवं चार्टड एकाउन्टेंन्ट्स आदि की फीस के निर्धारण के लिए सीमित निविदा या सीधे बातचीत के द्वारा नियुक्ति। | |
| | (अ) कुल फीस रू. पांच लाख तक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) कुल फीस रू. पांच लाख से अधिक रू. पन्द्रह लाख तक | अध्यक्ष |
| | (स) कुल फीस रू. पन्द्रह लाख से अधिक | संचालक मण्डल |
| 32. | एनआरडीए के अधिकारी / कर्मचारियों के बीच कार्य विभाजन, एक से दूसरे पद पर स्थानान्तरण | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 33. | दर तथा भाव आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से राज्य शासन के नियमों के अनुसार खरीदी | रू. 5000 / – की सीमा तक, भण्डार क्रय नियम के अनुसार। |
| 34. | एनआरडीए के प्रयोजन हेतु भवनों को किराये पर लिये जाने का अधिकार | निविदा में न्यूनतम दर के आधार पर या जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 35. | लेखन सामाग्री आदि की खरीदी | |
| | (अ) रू. पांच हजार तक प्रतिमाह | महाप्रबंधक (प्रशासन) |
| | (ब) रू. पांच हजार से अधिक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 36. | पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीदी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 37. | कोटेशन के आधार पर खर्च एवं अन्य कार्य के लिए | राज्य शासन के भंडार कय नियम के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |
| 38. | भारत के अन्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, कान्फेन्स आदि में अधिकारियों को प्रायोजित करने का अधिकार | |
| | (अ) रू. एक लाख प्रति प्रतिभागी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| | (ब) रू. एक लाख से अधिक प्रति प्रतिभागी | अध्यक्ष |
| 39. | भारत के बाहर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, कान्फेन्स आदि में अधिकारियों को प्रायोजित करने का अधिकार | राज्य शासन द्वारा विदेश यात्रा की स्वीकृति के अध्याधीन – अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार |

| | | |
|---|---|---|
| 40. | कोटेशन के आधार पर रिपेयर करने की शक्ति (पुराना फर्नीचर, पानी कूलर्स, ए.सी. आदि) कार्यालय एवं परिसर की साफ सफाई, रिपेयर एवं मेन्टेनेंस कान्ट्रेक्ट की शक्ति (ए.सी. कूलर्स, फोटोकापी मशीन, टाइपराईटर, ध्वनि उपकरण, विद्युत उपकरण आदि के रिपेयर एवं मेन्टेनेंस हेतु) | |
| | (अ) रू. 50,000/- की सीमा तक | महाप्रबंधक (प्रशासन) |
| | (ब) रू. 50,000/- से अधिक निविदा के द्वारा | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण भाक्ति |
| 41. | स्थाई/अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति | मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूर्ण अधिकार |

2/ उपरोक्तानुसार अधिकारों का प्रत्यायोजन राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा।

3/ उपर्युक्त अधिकारों के प्रत्यायोजन पर वित्त विभाग ने जावक क्रमांक 959/ब-2/कम्प्यूटर क्रमांक 32-00668, दिनांक 21.08.2017 द्वारा सहमति दी है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

(जी.एल. सांकला)
**अवर सचिव**

**पृ. क्र. एफ 2-45/2016/32** **नया रायपुर, दिनांक 30/08/2017**

**प्रतिलिपि -**

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
3. महालेखाकार, रायपुर छ.ग.,
4. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, पर्यावास भवन, नया रायपुर,
6. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**अवर सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग